# अध्याय–प्रथम

## (प्रस्तावना)

Regional Institute of Education
LIBRARY

## प्रस्तावना

### भूमिका :–

भाषा हमारे सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण – माध्यम और भावबोध का अन्यतम साधन है। भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है, बल्कि उसे दूसरे तक सम्प्रेषित भी करता है । सम्प्रेषण–व्यापार के सन्दर्भ में यह देखा जा सकता है कि, इसके एक छोर पर 'सम्बोधक' होता है जो किसी 'संदेश' को भेजता है और दूसरे छोर पर 'सम्बोधित' होता है जो इस 'संदेश' को ग्रहण करता है । सम्बोधक और सम्बोधित के सम्प्रेषण व्यापार के माध्यम के रूप में भाषा रहती है । इस भाषा के सहारे सम्बोधक अपने अव्यक्त संदेश को व्यक्त करता है और इसी भाषा में अभिव्यक्त संदेश को अर्थ के रूप में सम्बोधित ग्रहण करता है । अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के मौखिक एवं लिखित दो रूप होते हैं । मौखिक रूप में अभिव्यक्ति का साधक ध्वनि है । सम्बोधक के रूप में वक्ता संदेश को भाषा में बाँधकर मुँह से उच्चारित करता है और सम्बोधित के रूप में श्रोता उसे सुनकर अर्थग्रहण करता है । इसके विपरीत लिखित रूप में भाषिक अभिव्यक्ति का साधन लेखन होता है । इस सन्दर्भ में सम्बोधक के रूप में लेखक सन्देश को लिखकर व्यक्त करता है और सम्बोधित के रूप में पाठक पढ़कर उसका अर्थ समझता है ।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, व्यक्ति के पास भाषा ही अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है । संसार में कुल मिलाकर लगभग ढ़ाई सौ भाषाएँ हैं, जिनमें तेरह ऐसी भाषाएँ है, जिनके बोलने वालों की संख्या साठ करोड़ से अधिक हैं । संसार की भाषाओं में हिन्दी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है । आज अपने देश में इसके बोलने वालों की संख्या तीस करोड़ के आस–पास है। भारत के बाहर (बर्मा, लंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फीजी, मलाया, सुरीनाम, पूर्व और दक्षिण अफ्रीका) भी हिन्दी बोलने वालों की संख्या काफी हैं । एशिया महादेश की भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है । आज अपने देश में भी हिन्दी का कम महत्व नहीं है । हिन्दी भारत की एक मात्र ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में बाँधती है । भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हिन्दी सीखना काफी सरल है । हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है । राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में –

"हिन्दी तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली भाषा है । हिन्दी भाषी प्रान्तों में अनेक जनपदीय भाषाएँ हैं, हिन्दी ने सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बाँध रखा है । यही नहीं हिन्दी का एक आदृश्य तार गुजरात से लेकर असम तक सारे उत्तर भारत को एक धागे में बाँधे

हुए है ।''

(मंगल, उमा, (1991) ''हिन्दी शिक्षण'')

हिन्दी एक जीवित और सशक्त भाषा होने के कारण इसका प्रचार–प्रसार बढ़ता जा रहा है । हिन्दी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोन–कोने में हो रहा है । हिन्दी भाषा का विकास एवं प्रसार में हिन्दी भाषी क्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि ने अपनी एक विशेष पहचान बना ली है । इसके विपरीत अहिन्दी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आज भी पर्याप्त हिन्दी भाषा का विकास एवं प्रसार नहीं है । प्रस्तुत अध्ययन में यह देखा गया कि, हिन्दी तथा अहिन्दी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में हिन्दी के मौखिक रूप के साथ–साथ लिखित रूप भी बहुत सोचनीय है । दिन–प्रतिदिन हिन्दी भाषा लेखन का –हास हो रहा है, इसमें सिर्फ़ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अध्यापकों द्वारा भी अशुद्ध हिन्दी का प्रयोग हो रहा है । आज हम हिन्दी भाषा का मानक रूप को भुलकर बिगड़ी हुई हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि, हम सभी को हिन्दी के मौखिक एवं लिखित शुद्ध रूप को ध्यान में रखकर 'केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय' को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए ।

## 1.1 समस्या कथन :–

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए समस्या कथान इस प्रकार है –

''हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों का कक्षा आठवीं स्तर पर लेखन त्रुटियों का अध्ययन।''

## 1.2 अध्ययन की आवश्यकता :–

सम्बन्धित समस्या अध्ययन की आवश्यकता शोधकर्ता द्वारा इसलिए अनुभव की गई कि अनुसंधान के आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि, हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों द्वारा कक्षा आठवीं स्तर पर किस प्रकार लेखन में त्रुटियाँ करते हैं । प्रायः यह देखा गया है कि, शिक्षकों द्वारा कक्षा में अथक प्रयास करने पर भी विद्यार्थियों में लेखन कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता हैं । एक ही लिखाए जाने पर भी कुछ बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं किन्तु कुछ पिछड़ जाते हैं ऐसी स्थिति में शिक्षक–शिक्षिका के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रयत्न करे कि पिछड़े हुए बालकों में लेखन कौशल का अपेक्षित

विकास किया जा सके । यदि शिक्षक को यह ज्ञान हो कि लेखन के विभिन्न रूप लेखन विकास के लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से ही शिक्षक पिछड़े हुए विद्यार्थियों की भाषा सम्बंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी ।

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्या अध्ययन की आवश्यकता विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार हिन्दी उच्चारण, लेखन में त्रुटियाँ होती है, और वह भी किस प्रकार की त्रुटियाँ होती है उन त्रुटियों का अध्ययन करके कारणों की खोज करना । हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार की लेखन त्रुटियों का अध्ययन करके कारणों की खोज करना । हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार की लेखन त्रुटियों का अध्ययन करके संभावित कारणों की खोज करना । हिन्दी तथा अहिन्दी भाषा पर बोली एवं प्रारंभिक भाषाओं का प्रभाव को जानना।

## 1.3. अध्ययन के उद्देश्य :-

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों का निम्नलिखित प्रकार लेखन त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन –

1. हिन्दी भाषी क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थी।
2. अहिन्दी भाषी क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थी।
3. हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र के शहरी विद्यार्थी।
4. हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र के ग्रामीण विद्यार्थी।
5. हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र के छात्र ।
6. हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र की छात्राएँ ।

## 1.4. मातृभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व :–

सम्पूर्ण संसार (विश्व) में भारत यह एक ऐसा देश है, जिसकी अधिकांश, जनता हिन्दी भाषा का प्रयोग करती है । इसी भाषा को विश्व की चयनीत भाषाओं में तीसरे क्रमांक का स्थान प्राप्त है । हिन्दी उत्तर भारत में मातृभाषा के रूप में बोली और लिखी जाती है । हिन्दी हमारी राजभाषा, मातृभाषा है, कोटी–कोटी जनों की आम बोलचाल की भाषा है । मातृभाषा हिन्दी सरल व सरस भाषा होने के कारण हम अपनी भावनाओं, संवेदनाओं को अपनी भाषा में ज्यादा प्रभावी तरीके से, सरलता से, सहजता से व्यक्त कर सकते हैं । हिन्दी देश के अधिकांश लोगों की मातृभाषा होने के नाते उनकी अपनी भाषा है । अपनी भाषा में विचार विनिमय करने, शिक्षा ग्रहण

करने तथा भाव प्रकाशन करने का आनन्द और प्रतिफल ही कुछ और है । कविवर भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया है –

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल ।।

(मंगल, उमा, (1991) ''हिन्दी शिक्षण'')

सचमुच में हृदय के उद्‌गार तो अपनी भाषा में ही प्रकट किए जा सकते हैं और अपनी भाषा में ही अपने विचारों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो सकती है तथा यही भाषा लिखित और मौखिक रूप में बच्चे द्वारा अच्छी तरह ग्रहण की जा सकती है । जब तक वह कही हुई या लिखी हुई बात को समझेगा ही नहीं, तब तक ज्ञान–प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ ही है और इस तरह बालक की प्रगति और सामाजिक तरक्की के द्वारा निज भाषा यानी मातृभाषा के भली–भाँति शिक्षण से ही खुल सकता है किसी बाहरी या विदेशी भाषा द्वारा नहीं । माँ के आँचल, और लोरियों से जुड़ी हुई तथा परिवार के सदस्यों के स्नेह से आपूरित इस मातृभाषा का एक व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु–पर्यन्त एक ऐसा शारीरिक और भावात्मक सम्बंध होता है जिसका कोई अन्य भाषा चाहे वह किनी भी विकसित क्यों न हो, मुकाबला नहीं कर सकती ।

मातृ–भाषा हिन्दी का महत्व बताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने कहां था कि,

''मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है
जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध।''

(मंगल, उमा, (1991) ''हिन्दी शिक्षण'')

शैशवास्था में बालक माता के दूध के साथ–साथ उसकी वात्सल्यपूर्ण लोरियों के माध्यम से मातृभाषा को ग्रहण करता है तथा अपनी तोतली बोली से परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न करता है । मातृभाषा बच्चों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों, रीतिरिवाजों, आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं से परिचित कराने का सशक्त माध्यम है ।

मातृभाषा के रूप में हिन्दी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं भावात्मक आदि विकास में सहायक होकर व्यक्तित्व को संतुलित रूप से विकसित करती है । मातृभाषा में विचारों का आदान–प्रदान करके ही बालक समाज में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है एवं आपसी संबंधों को विकसित करता है और समाज का उपयोगी सदस्य बनता है । बच्चे की शिक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है । हम विदेशी भाषा के मोह में पढ़कर हम अपनी भाषा से दूर हो रहे है और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति

से अपरिचित रहकर हीनता से ग्रस्त हो रहे है । भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने इसी मोह को त्यागने के लिए प्रेरित करते हुए कहा था–

"अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुण होत प्रवीण ।
पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ।।"

(मंगल, उमा, (1991) "हिन्दी शिक्षण")

हिन्दी में वे सभी शक्ति, सामर्थ्य और गुणों के दर्शन होने है जो एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए । राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है ।

## 1.5 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व –

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व है । संवैधनिक दृष्टि से वह भारत की राजभाषा है । मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों की तो यह मातृभाषा है । देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़िसा, कर्नाटक आदि इन अहिन्दी राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 5 से पढ़ाई जाती है । हिन्दी हमारे देश में युग–युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है । यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों– वल्लभाचार्य, विठ्ठल, रामानुज, रामानन्द आदि वे भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था । अहिन्दी भाषी राज्यों के सन्त कवियों आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया । आज हिन्दी किसी–न–किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है ।

हिन्दी एक जीवित और सशक्त भाषा है । इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है । इसकी पाचन–शक्ति कमजोर नहीं है । इसने अन्य भाषा ओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अन्दर पचाया है । इस प्रकार हिन्दी ने अपने शब्द–भण्डार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है । हिन्दी एक जीवित भाषा है, इसका प्रचार–प्रसार बढ़ता जा रहा है । हिन्दी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने–कोने में हो रहा है । सन 1949 ई. को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा–व्यवस्था–परिषद् में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने भाषण में कहा था :

"संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है, जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो । उसकी

यह विशेषता ही अन्य भाषा–भाषियों के लिए उलझन बन जाती है । हमारी बंगला भाषा में ही ऐसी चीजें है, जो अन्य भाषा–भाषियों के लिए कठिन समस्याएँ हैं । वे लोग इन बारीकियों को समझे बीना जब बंगला भाषा लिखते–बोलते हैं, तब हम लोगों को हँसी आती हैं । वस्तुतः, हिन्दी बहुत सरल भाषा है । बीना बढ़े और सीखे यह कामचलाऊ हो जाती है । ऐसी कामचलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही, इसमें लिंग–सम्बन्धी तथा अन्यान्य गलतियाँ भी होंगी; पर काम सबका चल जाता है । परन्तु उत्तम टकसाली हिन्दी लिखने–बोलने के लिए तो हिन्दी पढ़नी–सीखनी होगी। यदि हिन्दी पढ़ने–सीखने में दो वर्ष भी अच्छी तरह लगायें जाये, तो किसी भी अहिन्दी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी ।''

(प्रसाद, वासुदेवनन्दन, (1999), ''आधुनिक हिन्दी–व्याकरण और रचना'')

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, हिन्दी यह एकमात्र ऐसी भाषा है, जो बोलने, लिखने तथा समझने में काफी आसान है । आज देश में अधिकांश क्षेत्रों में इसका व्यवहार में प्रयोग होता है । अग्रलिखित कथनों से भी यह स्पष्ट किया जा सकता है कि, द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का क्या महत्व है ।

भारत यह एक ऐसा देश है, जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषायी लोग निवास करते हैं । इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा कें द्वारा ही संभव है । लोग एक दूसरे के धर्म, भाषा, वेश, संस्कृति, साहित्य का आदर करते हैं । जिससे उनमें भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाते है ।

हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में महत्व यह है कि, जब दो या अधिक भाषायी लोग एकत्र आते हैं तब वे अपना सम्पर्क हिन्दी भाषा के द्वारा करते है । और यह हमें उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है ।

उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व है । हिन्दी साहित्य इतिहास का ज्ञान, तथा हिन्दी भाषा की संरचना के ज्ञान, साहित्यकारों, काव्यशास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी का महत्व है ।

## 1.6. हिन्दी में वर्तनी–सम्बंधी अशुद्धियाँ :–

भाषा यह व्यक्ति के भाव तथा विचारों से जुड़ी होती हैं । चाहे वह कोई भी भाषा हो व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, कि वह भाषा का सही उच्चारण, लेखन, प्रयोग अपने व्यवहार में करें। हिन्दी भाषा चाहे मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा के रूप में हो, उसका मानकीकृत लिपि को ध

यान में रखकर लेखन किया जाना चाहिए । प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि, प्रारंभिक विद्यालयीन स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है । अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों की बहुसंख्य त्रुटियाँ लेखन में दिखाई देती है । निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ ज्यादा होने की संभावना होती है जो इस प्रकार हैं –

(1) मात्रा सम्बंधी अशुद्धियाँ :–

विद्यार्थी लिखने में मात्राओं की निम्न अशुद्धियाँ करते हैं –

(क) ''मात्राओं का लोप'' – कई बार विद्यार्थी मात्राओं को लगाना भूल जाते है' जैसेः– मधर (मधुर), मालन (मालिन), जामन (जामुन) आदि ।

(ख) ''स्थान परिवर्तन :– कभी–कभी विद्यार्थी गलत स्थान पर भी मात्रा लगा देते हैं ; जैसेः– ससुराल (सुसराल), पशचिम (पश्चिम), परणित (परिणत) आदि ।

(ग) ''अनावश्यक मात्राएँ'' :– विद्यार्थी प्रायः अनावश्यक रूप में भी मात्राएँ लगा देते हैं; जैसे :– प्रदर्शिनी (प्रदर्शनी), अनाधिकार (अनधिकार) आदि ।

(घ) ''अशुद्ध मात्राएँ'' – विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध मात्रा लगाने की भूलें भी प्रचूर मात्रा में हो जाती हैं ; जैसे – मधूर (मधुर), कवी (कवि), आदि ।

2. वर्णों की अशुद्धियाँ :–

प्रायः विद्यार्थी वर्ण–सम्बंधी अशुद्धियाँ भी करते हैं । वर्ण–सम्बन्धी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की पाई जाती है –

(क) ''अनावश्यक वर्ण''– कई बार विद्यार्थी अनावश्यक वर्ण अपनी ओर से लगा देते हैं ; जैसे – जैस्सा (जैसा), तुम्हने (तुमने), असम्भ (असम्भव) आदि ।

(ख) ''वर्णों का लोप'' – कभी–कभी विद्यार्थी किसी वर्ण को छोड़ देते हैं :– जैसे :– अध्यन (अध्ययन), प्रमेश्वर (परमेश्वर) आदि ।

(ग) ''स्थान परिवर्तन'' – कई बार विद्यार्थी वर्ण को देते है ; जैसे :– वीभस्स (वीभत्स) काचू (चाकू) आदि ।

3. बिन्दु की अशुद्धियाँ :–

विद्यार्थी बिन्दु की अशुद्धियाँ भी बहुत करते हैं । बिन्दु की अशुद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं –

(क) ''बिन्दु का लोप'' – अर्थात् जहाँ बिन्दु की आवश्यकता है, वहाँ बिन्दु नहीं लगाया जाता;

जैसे :– पढना (पढ़ना), गिर पडा (गिर पड़ा) आदि ।

(ख) **''स्थान परिवर्तन''** :– कई बार उपयुक्त स्थान पर बिन्दु न लगाकर, अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है ; जैसे :– सवांद (संवाद) सतं (संत) आदि ।

(ग) **''अनावश्यक बिन्दु''**– कभी–कभी विद्यार्थी आवश्यकता न होने पर भी बिन्दु लगा दते है; जैसे :– ड़ाली (डाली), ड़लिया (डलिया) आदि ।

4. अनुस्वार और अनुनासिक सम्बन्धि –

अशुद्धियाँ :–

अनुस्वार बिन्दु के स्थान पर आनुनासिक (चंद्रबिन्दु) और अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाने की अशुद्धियाँ भी विद्यार्थी किया करते है ; जैसे :– आंख (आँख), हंसी (हँसी) अनुस्वार के सम्बन्ध में अधोलिखत नियमों पर ध्यान देना चाहिए–

(i) लघु अक्षरों पर अनुस्वार लगाने से वे गुरू हो जाते है ; – जैसे– कंस, प्रशंसा आदि।

(ii) अर्द्ध चन्द्र लगाने पर अक्षर लघु का लधु बना रहता है; जैसे :– हँस, अँगुली ।

(iii) अनुस्वार के सामने जिस वर्ग का वर्ण आये, जैसे :– 'मंदा' शब्द में 'द' त वर्ग का अक्षर है और इस वर्ग का पाँचवा अक्षर 'न' है । अतः 'मंदा' के स्थान पर 'मन्दा' हो सकता हैं, 'मण्दा' नहीं ।

(iv) यदि अनुस्वार के बाद 'य', 'ल', 'व', 'श', 'ष', 'स', आएँ तो वहाँ अनुस्वार का संयुक्ताक्षर नहीं बनना चाहिए ; जैसे :– 'संयम' को 'सण्यम' या 'सन्यम' लिखना भूल है ।

5. 'ण' और 'न' की अशुद्धियाँ :–

'ण' और 'न' के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है । 'ण' अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है । जिन तत्सम शब्दों में 'ण' होता है, उनके तदभव रूप में 'ण' के स्थान पर 'न' प्रयुक्त होता है ; जैसे :– रण–रन, फण–फन, कण–कन, विष्णु–बिसुन । खड़ीबोली की प्रकृति 'न' के पक्ष में है । खड़ी बोली में 'ण' और 'न' का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में 'ण' ही बोला जाता है । 'न' का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए –

(क) संस्कृत की जिन धातुओं में 'ण' होता है, उनसे बने शब्दों में भी 'ण' रहता है ; जैसे :– क्षण,

प्रण, वरूण, निपुण, गण, गुण आदि।

(ख) किसी एक ही पद में यदि ऋ, र, और ष् के बाद 'न' हो तो 'न्' के स्थान पर 'ण्' हो जाता है, भले ही इनके बीच कोई स्वर, य्, व्, ह् कवर्ग, प वर्ग, का वर्ण तथा अनुस्वार आया हो। जैसे – ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, आदि ।

किन्तु, यदि इनसे कोई भिन्न वर्ण आय, तो 'न' का 'ण' नहीं होता । जैसे :– अर्चना, मूर्च्छना, रचना, प्रार्थना ।

(ग) कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः 'ण' होता है ; जैसे –कण, कोण, गुण, गण, चाणक्स, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणी ।

**(प्रसाद, वासुदेवनन्दन, (1999) ''आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना'' )**

## 6. 'श' तथा 'ष' की अशुद्धियाँ :–

विद्यार्थियों अधिकांश में 'श', , 'ष' की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । अधोलिखित नियमों की ओर ध्यान देने से इन अशुद्धियों का निराकरण किया जा सकता है –

(i) जिन तत्सम् शब्दों की संस्कृत (मूल) धातुओं में 'ष' का प्रयोग होता है, उनके हिन्दी शब्दों में भी 'ष' का प्रयोग होगा ; जैसे :–

शिष् – शिष्य, शेष, शिष्ट आदि ।

रुष् – रूष्ट, रोग आदि ।

पुष् – पोषक, पुष्प, पुष्ट आदि ।

(ii) क, च, ट, ठ, प, फ के पूर्व यदि विसर्ग हो तो सन्धि करने पर विसर्ग का 'ष्' हो जाता है ; जैसे :–

नि:+कपट– निष्कपट, नि:+काम – निष्काम,

नि:+ठा – निष्ठा, नि:+फल – निष्फल ।

(iii) बाष्प, पुरूष, भाषा, वृषभ, कृष्ण, पुष्प आदि शब्दों में भी 'ष' का प्रयोग होता है । इस प्रकार के प्रयोगों का ज्ञान अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है ।

(iv) संस्कृत तथा हिन्दी के तत्सम् शब्दों में 'च' और 'छ' से पूर्व 'श्' आता है, जैसे :– निश्छल, निश्चिन्त, दुश्चरित्र आदि ।

(v) 'ग' के साथ 'श' का प्रयोग होता है, जैसे– दिग्दर्शन

7. 'ष' और 'ख' की अशुद्धियाँ :–

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शुद्ध तत्सम् शब्दों में 'श' का प्रयोग किया जाता है, परंतु तद्भव शब्दों में 'ख' का प्रयोग भी हुआ है ;

जैसे :– तत्सम – वर्षा

तद्भव– बरखा

संत कवियों ने प्रायः 'ष' के स्थान पर 'ख' का प्रयोग किया है । गुरू गोविन्द सिंह ने कहा है –

"मैं हूँ परम पुरख को वासा ।
देखन आयो जगत तमासा ।।"

यहाँ पर "परम पुरूष" के स्थान पर "परम–पुरूख" शब्द का प्रयोग हुआ है । परंतु आजकल खड़ीबोली में 'ष' का ही प्रयोग होता है ।

## 1.7 अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों की समस्याएँ :–

हिन्दी उत्तर भारत की मातृभाषा है, साथ–ही–साथ देश की राष्ट्रभाषा भी है । उत्तरी प्रान्त को छोड़कर अन्य प्रान्तों की द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जो हिन्दी भाषा प्रान्त हैं, वहाँ के निवासियों की मातृभाषा हिन्दी होने के कारण वहाँ के निवासियों को हिन्दी भाषा सीखना कोई कठिन कार्य नहीं । कठिनाई तो उस प्रान्तों के निवासियों को होती है, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं, और जो अपना काम–काज अपनी प्रादेशिक भाषा में चलाते हैं। अहिन्दी भाषी प्रान्तों की निम्नलिखित समस्याएँ ऐसी है जो वहाँ के विद्यार्थियों, निवासियों को हिन्दी सीखने, बोलने, लेखन में पहुँचाती है । कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं –

### (क) लिपि की समस्या :–

इस बात से सभी परिचित है कि हिन्दी, संस्कृत के समान देवनागरी में लिखी जाती है । मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, अतः वहाँ भी लिपि सीखने की कोई समस्या नहीं। उत्तर भारत में जो अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं, उनके नाम हैं – गुजराती, बंगला, असमिया, गुरूमुखी, उड़िया, आदि । पंजाब प्रान्त की गुरूमुखी लिपि का विकास शारदा लिपि से हुआ और गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया की लिपियाँ प्राचीन देवनागरी लिपि से विकसित हुई हैं । इन लिपियों का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए नागरी लिपि सीखना कोई कठिन कार्य नहीं ।

देवनागरी लिपि सीखने की समस्या वास्तव में दक्षिण भारत के लोगों के लिए हैं, जिनकी मातृभाषा कन्नड़, तमिल, मलयालम तथा तेलगू है । इन सभी भाषाओं की अपनी–अपनी लिपियाँ हैं । मनोरंजक तथ्य यह है कि प्राचीन देवनागरी शारदा तथा कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलगू की लिपि मूल ब्राह्मी से ही विकसित हुई है परंतु अब तो उनमें बहुत अंतर आ गया है । अतः मुख्य समस्या है कि इन्हें देवनागरी लिपि किस प्रकार सुचारू रूप से सिखाई जाए।

(ख) व्याकरण सम्बन्धी समस्या :–

हिन्दी के व्याकरण तथा प्रान्तीय भाषाओं के व्याकरण में पर्याप्त अन्तर है । व्याकरण की दृष्टि से हमें निम्नलिखित तीन बातों पर विचार करना होगा –

(i) ध्वनि–विचार

(ii) शब्द–विचार

(iii) वाक्य–विचार

(i) ध्वनि–विचार :–

प्रायः हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं की ध्वनियों में अंतर होता है । बंगला भाषा में 'अ' धनि का उच्चारण 'ओ' ध्वनि के समान होता है ; जैसे – 'अरविन्द' पढेंगे । बंगला लिपि में 'व' ध्वनि होती ही नहीं । वे 'व' के स्थान पर 'ब' ध्वनि का प्रयोग करते हैं । वे 'देवी' न कहकर 'देबी' कहेंगे । यही बात दक्षिण भारत की भाषाओं के सम्बन्ध में भी कहीं जा सकती है ।

(ii) शब्द–विचार :–

राष्ट्रभाषा हिन्दी और अन्तर–प्रान्तीय भाषाओं में लिंग सम्बन्धी अन्तर पाया जाता है ; जैसे– हिन्दी में दो लिंग होते हैं – (i) पुल्लिंग, तथा (ii) स्त्रीलिंग, परंतु मराठी में एक नपुसकलिंग भी है । सजीवन प्राणियों के लिए तो लिंग सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं आती, परंतु निर्जीव पदार्थों का लिंग–निर्माण कठिन हो जनता है । यही कठिनाई व्यक्ति वाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के सम्बन्ध में भी होती है ।

हिन्दी में संज्ञाओं के लिंग का प्रभाव सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि पर भी पड़ता है, परंतु यह बात अन्य प्रान्तीय भाषाओं में नहीं । हिन्दी वाले कहेंगे – तुम्हारी पुस्तक गिर गई। इस वाक्स में संज्ञा–शब्द (पुस्तक) स्त्रीलिंग है और उसका प्रभाव सर्वनाम (तुम्हारी) तथा क्रिया (गिर गई) पर भी पड़ा है । परंतु अहिन्दी भाषी कहेगी–'तुम्हारा पुस्तक गिर गया।' क्योंकि उसकी

भाषा में संज्ञा के लिंग का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि पर नहीं पड़ता ।

**(iii)** वाक्य–विचार–

राष्ट्र–भाषा हिन्दी की वाक्य–रचना और अहिन्दी भाषी लोगों की रचना–वाक्य में भी अन्तर पाया जाता है –

जैसे – हिन्दी में कहेंगे –'वह दूध पीता है।'

बंगला में कहेंगे –'वह दूध खाता है।'

इसके अतिरिक्त हिन्दी के वाक्यों मं जो शब्द–क्रम निर्धारित किया गया है, उसमें अंतर नहीं किया जा सकता है । इसलिए अहिन्दी–भाषी प्रान्तों के लोग हिन्दी वाक्य लिखने में अशुद्धियाँ कर जाते हैं ।

(ग) **उच्चारण सम्बन्धी समस्या** :– उच्चारण का सम्बन्ध ध्वनि के साथ भी है :–

उच्चारण का सम्बन्ध ध्वनि के साथ भी है । यदि अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी ध्वनियों का पूरा–पूरा ज्ञान न होगा तो उनका उच्चारण ठीक न हो सकेगा । जैसे हिन्दी में कहेंगे 'पानी' परंतु पंजाबी भाषी कहेंगे 'पाणि' । उच्चारण का सम्बन्ध अर्थ–ग्राह्यता के साथ भी रहता है, अतः उच्चारण यदि ठीक–ठीक न होगा तो कुछ का कुछ अर्थ ग्रहण कर लिया जायेगा । कई भारतीय भाषाओं में संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण न होने से भी कठिनाई होती है ; जैसे– पंजाबी भाषा लोग 'महेन्द्र' न कहकर 'महिनदर' कहेंगे ।

(घ) **हिन्दी का कौन–सा रूप सिखाया जाए** –

हिन्दी की कई बोलियाँ हैं ; जैसे– खड़ी–बोली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी आदि परंतु माणक हिन्दी के रूप में 'खड़ीबोली' का ही प्रयोग होता है, जो दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की भाषा है। आज हम भी जिसे हिन्दी भाषा कहते हैं – वह खड़ी बोली ही है । अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी का यही रूप सिखाया जाएगा ।

जैसे – हिन्दी भाषी कहेंगे – विदेशी साहित्य

मराठी भाषी कहेंगे – परकीय वाङ्मय

(ङ) किस आयु से राष्ट्र–भाषा हिन्दी सिखलाई जाए :–

अहिन्दी भाषी प्रान्तों में एक समस्या यह भी है कि बालक किस आयु से हिन्दी सीखना प्रारंभ करें । महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, गुजरात आदि प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी 10 वर्ष की आयु से पढ़ाई जाती है । तमिलनाडु, काश्मीर तथा आंध्र आदि प्रान्तों में 11 वर्ष की आयु से हिन्दी पढ़ाई जाती है । छोटी आयु में भाषा सीखने में जो सरलता तथा सुविधा रहती है, वह बाद में नहीं पाई जाती । अतः अहिन्दी भाषी प्रदेशों में राष्ट्र–भाषा हिन्दी का शिक्षण 9–10 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए ।

(च) उपयुक्त शब्दावली का चयन :–

किसी भी भाषा को सरलता से सीखा जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम कुछ ऐसे शब्दों को चुन लिया जाए जो भाषा सीखने में सहायक हों । आधारभूत शब्दावली का चयन राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए भी होना चाहिए और अहिन्दी भाषी प्रदेशों में जो हिन्दी की पुस्तकें प्रारंभ में निर्धारित की जाएँ, उनमें इस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए । केन्द्रीय प्रशासन द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य हुआ भी है । एक शब्दावली 2000 शब्दों की प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त कई छोटी–छोटी शब्दावलियाँ 500 शब्दों की भी प्रस्तुत की गई हैं । अहिन्दी भाषी राज्य अपनी आवश्यकतानुसार, इन शब्दावलियों में से शब्दों का चयन कर सकते हैं । अब कुछ ऐसी शब्दावलियों पर भी कार्य हो रहा है, जिनका सम्बन्ध भारतीय भाषाओं के साथ है; जैसे– मलयालम– हिन्दी शब्दावली, तमिल–हिन्दी शब्दावली, मराठी–हिन्दी शब्दावली आदि ।

(छ) उपयुक्त पाठ्य–पुस्तकों की समस्या :–

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का शिक्षण देने के लिए उपयुक्त पाठ्य–पुस्तकों की रचना नहीं की गई है । इस समय जो पाठ्य–पुस्तकें प्रचलित हैं, उनमें अधोलिखित त्रुटियाँ पायी जाती है –

उर्दू और तद्भव शब्दों की भरमार होने से अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई होती है; उदारहणस्वरूप, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'चार एकांकी' को ही लें । इसमें पहली एकांकी है– 'पुजारी' । 'पुजारी' नामक पाठ में निम्नलिखित उर्दू के शब्द हैं –

पोशाक, कैदी, ग़रीबल, मेहरबानी, ख़बरदार, इलजाम, एहसानमन्द, मेहमान

एक ही पाठ में लगभग 90 शब्द ऐसे आए हैं, जो अहिन्दी भाषियों के लिए अत्यंत

कठिन हैं, क्योंकि उनका प्रयोग उनकी मातृभाषा में नहीं होता । इसके अतिरिक्त कितने ही ऐसे तद्भव शब्द होंगे, जिनसे वे सर्वथा अपरिचित होंगे । अतः उनके मन में यदि यह भ्रम बैठ जाए कि हिन्दी तो बहुत कठिन भाषा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । क्या दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इस ओर ध्यान देगी ?

(ज) उचित शिक्षण–विधियों का चयन :–

अहिन्दी भाषी प्रदेशामें में हिन्दी शिक्षण की दृष्टि से एक और समस्या बड़ी जटिल है। वह समस्या इस बात की है कि, उन्हें राष्ट्रभाषा हिन्दी सीखाने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाए ? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान रखने योग्य हैं –

(i) हम उस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते जिसे मातृभाषा सिखलाने में अमल में लाते हैं ।

(ii) अहिन्दी भाषी प्रदेशों में विद्यार्थी तथा प्रौढ़– दोनों ही हिन्दी सीखना चाहेंगे अतः दोनों के लिए अलग–अलग शिक्षण–विधियाँ होनी चाहिए ।

(iii) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में कुछ प्रान्त ऐसे हैं, जहाँ के लोग हिन्दी अच्दी प्रकार बोल सकते है ; जैसे – मराठी भाषी प्रान्त, पंजाबी भाषी प्रान्त । बंगला, गुजराती भाषी लोग तथा कुछ प्रान्त ऐसे हैं जहाँ के लोग हिन्दी में वार्तालाप नहीं कर सकते । इन सभी लोगों के लिए शिक्षण विधियाँ भिन्न–भिन्न होंगी ।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों की उपरोक्त के अलावा और कुछ समस्याएँ ऐसी है जो इस प्रकार है – प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, पर्याप्त वातावरण कमी, हिन्दी पाठ्य–पुस्तकों की बढ़ती कीमत आदि समस्याएँ अहिन्दी प्रदेशों में सभी के लिए हिन्दी' की प्रमुख बाधाएँ है ।

## 1.8 हिन्दी वर्तनी सम्बन्धी सजगता :–

वर्तनी सम्बन्धी सजगता से तात्पर्य है, भाषा लेखन, उच्चारण करते समय स्वयं के द्वारा ली गई सजगता से हैं । हिन्दी भाषा लेखन के सन्दर्भ में देखा जाए तो अशुद्धियों की प्रचुरता को देखते हुए आज हिन्दी वर्तनी चिंता का विषय है । वर्तनी की सामान्य–अशुद्धियाँ, आज पत्र–पत्रिकाओं, पाठ्य–पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों, कुन्जियों, समाचारों, विज्ञापनों, चलचित्रों, नारो, आदि में देखने में आ रही हैं । वर्तनी की सामान्य अशुक्रियाँ करते हुए भी आज का विद्यार्थी नहीं

चुकता है । उच्च माध्यमिक के विद्यार्थी द्वारा "मैं" सर्वनाम के स्थान पर 'में' का प्रयोग किया जा रहा है । ग्यारह वर्ष पढ़कर भी वह 'में' पढ़ रहा हूँ लिख रहा है । ये अशुद्ध वर्तनी रूप स्थापित लेते जाते है । स्नातक शिक्षा (बी.एड.) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक छात्र शिक्षक को जब प्राध्यापक ने इंगित किया कि 'श्रृंगार' वर्तनी रूप अशुद्ध है, तब उसे इस बात की अनुभूति हुई ।

आज इस तरह की अनेक वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ हो रही है इनके प्रति सजगता आवश्यक है । यदि शिक्षक–शिक्षार्थी लेखक–पाठक, मुद्रक, प्रूफ–संशोधक, पत्रकार–सम्पादक, निर्देशक–लेखक आदि । इस समस्या के प्रति मौन रहे तो यह विस्तृत हो जाएगी । फल स्वरूप अशुद्ध वर्तनी रूप का प्रचयन बढ़ता चला जायेगा तथा शुद्ध वर्तनी रूप के प्रति भ्रान्तियाँ जन्म ले लेंगी । यहाँ कुछ ऐसी ही भ्रान्तियों को प्रस्तुत किया जा रहा है –

'ह्न' के स्थान पर 'न्ह' का प्रयोग संयुक्त अक्षर –'ह्न' ह+न से बनता है परंतु रूप (न्ह) गलत है । चिन्ह, अन्ह, पूर्वान्ह, मध्यान्ह, अपरान्ह शब्दों का लेख आम चलन में है । इनका शुद्ध वर्तनी रूप है –चिह्न, अह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न, उपराह्न । वर्तनी की इस भ्रान्ति ने उच्चारण को भी दोषपूर्ण बना दिया है । इसी तरह ह् के मेल से बन रहे अन्य संयुक्ताक्षरो –ह +ल (हल) ह्+म (ह्म) से बनने वाले शब्दों प्रह्माद, आहलद, जिह्मा, बह्म आदि को लिखने में भी सजगता बरतनी चाहिए । श्रृं के स्थान पर श्रृं का प्रचलन–

'रृं' संयुक्त वर्ण श्+ऋ+अं के मेल से बनता है । इस संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंखला आदि है । आज इन शब्दों को लिखा जा रहा है । श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंखला जो गलत है । यह भ्रान्ति श+र+ई के अनुकरण पर श्+र+ऋ+अं के मन से हो रही है ।

अनुस्वार सम्बन्धी भ्रान्तियाँ :–

अनुस्वार सम्बन्धित भी कई भ्रान्तियाँ हैं –

1. अनुस्वार का प्रयोग उचित स्थान पर न किया जाना अनुस्वार कहाँ लगना चाहिए इस बात का ज्ञान न होने से वर्तनी रूप अशुद्ध लिखे जा रहे है । सांय, मंहगा, होगें, पढ़ेगें, ऐसे ही शब्द है । इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगे शुद्ध रूप होंगे – सायं, महंगा, होंगे, पढ़ेंगे ।
2. कुछ अनुस्वार अनावश्यक रूप से शब्दों के साथ प्रचलन में है जैसे– चांवल, समुद्रं, दुनियां। इन शब्दों में अशुद्ध उच्चारण से यह विकृति आयी है । इनके शुद्ध रूप है– चावल, समुद्र, दुनिया।

3. कुछ शब्द अनुस्वार का प्रयोग न करने के कारण अशुद्ध लिखे जा रहे है जैसे :– 'सन्यासी'। 'सन्यासी' शब्द में 'स' पर अनुस्वार आवश्यक है, शुद्ध रूप है सन्यासी ।

4. आकारानत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन लिखते समय 'ए' के स्थान पर 'ऐ' का प्रयोग गलत है । जैसे :– शुभ कामनाएं, बालिकाएं, अध्यापिकाएं ।

अर्द्ध व्यंजन के प्रयोग की अशुद्धि :–

कुछ हिन्दी शब्दों को अर्द्ध व्यंजनों का प्रयोग करते हुए लिखा जा रहा है । इससे उच्चारण भी दोष पूर्ण हो गया है उदाहरण के तौर पर बिल्कुल, गल्त, गल्ती, नर्क, ख्याल, अस्मर्थ, दुल्हा, दुल्हन, इनका शुद्ध वर्तनी रूप है – बिलकुल, गलत, गलती, नरक, खयाल, असमर्थ, दुलहा, दुलहन ।

र तथा रू में मात्रा का अन्त :–

'र' व्यंजन के साथ हस्व तथा दीर्घ उ, ऊ मात्राएँ लगते समय सामान्य मात्रा चिह्न (र+उ–रु र+ऊ– रू) का प्रयोग न कर विशेष मात्रा चिह्न (रु तथा रू) का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में आजकल असावधानी के कारण हस्व तथा दीर्घ दोनों के लिए एक ही मात्रा चिह्न (रू) का प्रयोग किया जा रहा है अथवा दीर्घ के स्थान पर हस्व मात्रा लगायी जा रही हैं । जैसेः– नेहरू । हस्व 'उ' मात्रा लगाकर लिखे जाने वाले शब्द जैसे :– रूपया, रूचि, पुरूष, गुरू, मारून, रूा, रूझान, रूत, रूद्र, रूधिट, रूहिट, रूण्ट आदि इसी रूप में लिखे जाये दीर्घ 'ऊ' मात्रा लगाकर लिखे जाने वाले शब्द जैसे :– रुप,रुपक, रुह, शुरु, नेहरु, रुमाल, रुस, रुई, रुख आदि इसी रूप में लिखे जाये । इसी तरह हस्व दीर्घ/ दीर्घ हस्व (उ,ऊ/ अ,उ) मात्राओं के साथ साथ प्रयोग वाले शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न है, इन्हें सावधानी से लिखा जाये– शुश्रुषा, लुलूस, मुहूर्त, दुकूल, सूदूर, अनुकूल, अनुरूप, कुरूप, गुरूपदेश, नुपूर आदि।

ता प्रत्यय का अनुावश्यक प्रयोग :–

विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय लगने से भाव वाचक संज्ञा शब्द बनते है जैसे– सुन्दर+ता – सुन्दरता इसी अनुकरण पर भाव भावाचक शब्दों के साथ भी 'ता' प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, जो अनावश्यक एवं गलत है जैसे :– सौन्दर्यता, माधुर्यता, बाहुल्यता, सामर्थ्यता, ऐक्येता, धैर्यता, सौजन्यता, दारिद्रयता, साम्यता, कौमार्यता ।

इन शब्दों के शुद्ध रूप है – सौन्दर्य–सुन्दरता, माधुर्य–मधुरता, बाहुल्य–बहुलता, सामर्थ्य–समर्थता, दाद्रिय–दरिद्रयता, साम्य–समता, कौमार्य–कुमाया ।

सन्धि सम्बन्धि अशुद्धियाँ :–

संधि सम्बन्धि कुछ अशुद्ध शब्द चलन में है इनके शुद्ध वर्तनी रूप कोष्ठक में दिये जा रहे है उपरोक्त (उपर्युक्त), अत्याधिक (अत्याधिक), उज्जवल (उज्ज्वल), महोषधि (महौषधि), पुनरोक्ति (पुनरूक्ति), सद्चरित्र (सच्चरित्र), अभिसेक (अभिषेक), निरावलम्ब (निरवलम्ब), लघुत्तरात्मक (लघूतरात्मक), निरोग (नीरोग), सुस्वागतम् (स्वागतम्) ।

सामाजिक पदों की अशुद्धियाँ :–

मण्डल, गण वृन्द कर आदि पदों से बनने वाले सामाजिक पदों में दीर्घ मात्रा 'ई' (प्रथम पद की) बदल कर लघु मात्रा 'इ' हो जाती है । जैसे – मन्त्री+मण्डल – मन्त्रिमण्डल । ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिये जा रहे है मन्त्रिपरिषद, विद्यार्थिगण, नारिवृन्द, योगिराज, कालिदास, रविशंकर । इस प्रकार वर्तनी सम्बन्ध सजगता प्रतिपादित होती है ।

1.9 सावधानी से सिखाएं हिन्दी :–

विद्यार्थी लेखन में सामान्य अशुद्धियाँ कर बैठता है । यह चिन्तनीय बात है कि, उनकी इन अशुद्धियों का जड़ कहाँ से होती है । छानबीन करने से पता लगेगा कि उनकी इन अशुद्धियों का अंकुरण घर, परिवार और विद्यालय से होता है । वे हमारा अनुकरण करते है । उत्तम होगा कि उन्हें अध्यापक करवाने से पूर्ण हम अपने लेखन और संभाषण को पूर्णतः त्रुटिरहित कर लें । सभी भाषाओं की अपनी एक प्रकृति होती है । उसी के अनुसार शब्दों का वाक्य विन्यास भी होना चाहिए । हमें शब्दों का प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए । प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने लेखन में जहाँ जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ उस शब्द का प्रयोग नहीं करते जिससे अर्थ का अनर्थ होने का डर बना रहता है ।

वर्तनी की शुद्धता का ज्ञान और समृद्ध शब्द भण्डार होने पर भी वाक्य विन्यास उपयुक्त नहीं है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है जैसे– मेरा यह पत्र न मिले तो सूचित करियेगा। यदि पत्र पाने वाले को पत्र नहीं मिलेगा तो वह सूचित कैसे करेगा ?

अक्सर आपने दूरदर्शन पर चुनाव परिणामों के समय सुना होगा ताजा चुनावों के

परिणाम निम्न प्रकार है जबकि चुनावों के ताजा परिणाम इस प्रकार है होना चाहिए । अतः यहाँ विद्यार्थियों के उपयोगार्थ कुछ ऐसे वाक्य प्रस्तुत किये जा रहे है । जिनके प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो वाक्य शुद्ध बनाये जा सकते है तथा निरर्थक शब्दों के प्रयोग से बचा जा सकता है । जैसे :–

(1) इस समस्या का समाधान संभव नहीं है ।

(2) मेरी शंका का निराकरण कोई नहीं कर सकता ।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ध्यान देने की बात है कि समस्या का निराकरण होता है, तथा शंका का समाधान । कई बार विद्यार्थी ''ने'' की अशुद्धियाँ करते हुये पाये गये है । कभी–कभी वाक्य में कभी ''ने'' की आवश्यकता होती है तो कभी नहीं ।

जैसे :–

(1) राम कहा कि वह अब पढ़ना नहीं चाहता ।

(2) मैं समझा कि आप मेरी बातें स्वीकार कर चुकें ।

पहले वाक्य में ''राम कहा'' के स्थान पर ''राम ने कहा'' तथा दूसरे वाक्य में ''मै'' के स्थान पर ''मैने'' का प्रयोग होना चाहिए ।

अक्सर विद्यार्थी ''को'' का प्रयोग बड़ी उदारता के साथ कर देते है । अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि ''को'' का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधानी बरते । जैसे :–

(1) वह अपनी हार को स्वीकार करता है ।

(2) व्यक्ति को मोह को छोड देना चाहिए ।

वाक्य में ''हार स्वीकार करता है'' तथा दूसरे वाक्य में ''व्यक्ति को मोह छोड़ देना चाहिए'' कभी कभी विद्यार्थी ''से'' परसर्ग का भी अनावश्यक प्रयोग करते हुए देखे गये हैं । जहाँ ''से'' की आवश्यकता होनी चाहिए वहां तो नहीं करते तथा जहां नहीं होना चाहिए वहाँ कर देते है । जैसे :–

(1) मेरा चैक मेरे नये पते से भेजना ।

(2) एक जुलाई को नया सत्र प्रारम्भ होगा । पहले वाक्य में 'से' के स्थान पर ''पर'' तथा दूसरे वाक्य में ''को'' के स्थान पर ''से'' का प्रयोग होना चाहिए ।

(1) राम के हाथों से चिट्ठी भिजवा देना ।

(2) चलो इस बहाने से आप तो आ गये । उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ''से'' का प्रयोग निरर्थक है। हिन्दी के संबंधवाची ''का के की'' के प्रयोग में भी बड़ी गड़बड़ी देखी जाती है । जैसे:–

(1) पाँच बोरी शक्कर की भिजवा देना ।

(2) दुकान के बनवाने में पैसा खर्च होता है ।

उपयुक्त पहले वाक्य में "की" दूसरे वाक्य में "के" का प्रयोग निरर्थक है । विद्यार्थी गण वचन की अशुद्धियाँ भी बहुत करते है । इसके पीछे लिंग अज्ञानता ही मुख्य कारण है । वचन सम्बन्धी कुछ भूलों की ओर ध्यान रखा जाये तो अशुद्धियाँ होने से बचा जा सकता है । जैसे :–

(1) आज चार आदमी के लिए अधिक भोजन बनाना है ।

(2) अनेकों ऐसे महान पुरूष हुए है । पहले वाक्य में "चार आदमियों के लिए" तथा दूसरे वाक्य में अनेकों के स्थान पर "अनेक" होना चाहिए । अनेक शब्द वैसे भी अपने आप में बहुवचन है। कई बार विद्यार्थी आवश्यकता होने पर भी सर्वनाम शब्दो का प्रयोग नहीं कर पाते किन्तु कई बार आवश्यकता नहीं होने पर भी कर जाते है । जैसे :–

(1) उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें ?

(2) मुझकों दो रूपये चाहिए । पहले वाक्य में "उन्हें" के स्थान पर "उनकी" तथा दूसरे वाक्य में "मुझको" के स्थान पर "मुझे" का प्रयोग होना चाहिए ।

संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी संख्याएँ आयें वहाँ अंकों की बजाये शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए । जैसे :–

(1) दो और दो चार होते है ।

(2) उस समारोह में पाँच हजार से अधिक दर्शक उपस्थित थें । उपर्युक्त पहले वाक्य में "पाँच हजार" का प्रयोग किया जाना चाहिए । कई बार हम विशेष्ज्ञता का प्रयोग किसी भी स्थान पर कर देते है । अतः विशेषता शब्दों का प्रयोग अत्यन्त सोच समझकर तथा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए । यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे है । जैसे :–

(1) गरम आग से पेट जल गया ।

(2) ठंड़ी में "गरम" तथा "ठंड़ी" का प्रयोग निरर्थक है । आग तो गरम होती है ही है तथा बर्फ ठंडी । क्रिया पदों के प्रयोग में भी छात्र काफी मात्रा में अशुद्धियाँ करते हुए देखे गये है। जैसे :–

(1) हम उसका बोलना और हँसना देखकर मुगध हो गये ।

(2) उसका रोटियाँ और चाय बनाने का ढंग आकर्षक था । उपर्युक्त पहले वाक्य में "बोलना, सुनकर" तथा दूसरे वाक्य में "रोटियाँ पकाने" होना चाहिए ।

प्रायः विद्यार्थी काल सम्बंधी भूले भी निम्न प्रकार से करते हुए देखे गये है । जैसे :–

(1) कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहले वाक्य में ''लेकर'' का अनावश्यक प्रयोग है, जबकि अण्यय शब्दों के प्रयोग में भी हम कभी–कभी ऐसी भूले कर जाते हैं । जिनमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है । अतः इनका प्रयोग भी अन्य शब्दों की भांति सर्तकता से करना चाहिए । अव्यय शब्दों के प्रयोग में थी हम कभी–कभी ऐसी भूलें कर जाते हैं । जिनसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है ।

## 1.10 प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण :–

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से प्रांरभिक स्तर महत्वपूर्ण माना जाता है । आज देश में प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी अपनी रूचि, योग्यता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता पर आधारित होता है । जिस क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा से सम्बन्धित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिन्तन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा जीवन से सम्बन्धित किसी भी विषय का अध्ययन करने का सामर्थ्य विकसित किया जाना है उसे ही हिन्दी शिक्षण कहा जाता है ।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अन्तर है । पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक सम्पन्नता का द्योतक था, किन्तु आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है, अब वह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई है । ईक्कीसवीं शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अति आवश्यक है । आज हम एक–दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिए नहीं करना चाते कि उस भाषा में उचित उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सकें अपितु इसलिए भी करना चाहते हैं कि अन्य भाषा–भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तर पर समझे, उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान–प्रदान कर सके ।

अहिन्दी भाषा शिक्षण का तात्पर्य मातृ–भाषा से भिन्न किसी अहिन्दी प्रदेशों में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सिखाना है । हिन्दी अपने देश की राष्ट्रभाषा है । हमारे देश में हिन्दी–शिक्षण के दो रूप हैं; एक तो हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में मातृ–भाषा के रूप में (प्रथम भाषा) और दूसरे अहिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में जिनकी मातृ–भाषा कुछ और है वहाँ अन्य भाषा के रूप में (द्वितीय भाषा) । आजकल हिन्दी भाषा का प्रचलन विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है । आज यूरोप के कई देशों में जैसे–रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े–बड़े

विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक महत्वपूर्ण विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है । भारत व अन्य देशों के एक दूसरे के करीब आने से हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन भी खूब बढ़ता जा रहा है । अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रोफेसर भाषा–वैज्ञानिक ही हैं और हिन्दी–शिक्षण हिन्दी भाषा वैज्ञानिकों की देख–रेख में होता है ।

हिन्दी सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा है । यह एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसके बोलने वालों की संख्या अधिकांश हैं । हिन्दी भाषी प्रदेशों में यह मातृभाषा के रूप में कक्षा एक से पढ़ाई जाती है । अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 5 या 6 से पढ़ाई जाती है । तथा तृतीय भाषा के रूप में यह कक्षा 8 या 9 से पढ़ाई जाती है । प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण के लिए हिन्दी तथा अहिन्दी प्रदेशों विविध प्रकार का अन्तर होता हैं जो अग्रलिखित ढंग से संक्षेप में स्पष्ट किया जा सकता है –

(1) हिन्दी तथा अहिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों में अन्तर –

प्रथम भाषा के रूप में जब हिन्दी पढ़ाई जाती है तो हम विद्यार्थी से यह आशा करते हैं कि वह उस भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर ले एवं हिन्दी में रचित साहित्य का पूर्ण रूप से रसास्वादन करने में समर्थ हो जिसके फलस्वरूप मौलिखक साहित्य की रचना भी कर सके। अहिन्दी शिक्षण का लक्ष्य तो केवल यह है कि विद्यार्थी हिन्दी में की गई बातचीत को समझकर उस भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले ।

(2) हिन्दी तथा अहिन्दी शिक्षण के प्रयोजन में अन्तर :–

हिन्दी भाषी प्रदेशों में मातृ–भाषा सीखने का प्रयोजन जीवन की मौलिक आवश्यकता के रूप में लोगों द्वारा हिन्दी भाषा को सीखना है, किन्तु अहिन्दी भाषा के रूप में हिन्दी सीखने का प्रयोजन अहिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में है सामुदायिक जीवन की कुछ विशेष आवश्यकता की पूर्ति इस सम्बन्ध में इलपाकुलू पांडुरंगराव ने अपने लेख 'अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी शिक्षण' में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं –

''घरेलू जीवन के सीधे–सादे वार्तालाप से लेकर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के ऊँचे से ऊँचे और जटिल से जटिल विचारों तक को व्यक्त करने की क्षमता मातृ–भाषा में ही अपेक्षित और प्राप्त होती है ।''

(सिंह, सावित्री, (1975–76) ''हिन्दी शिक्षण'')

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी सिखाते समय शिक्षक के सामने यह अन्तर स्पष्ट होना चाहिए कि, जीवन के रागात्मक पक्ष को विकसित करने में इसका कम प्रयोग किया जाता है।

(3) हिन्दी तथा अहिन्दी चारों कौशलों के क्रम में अन्तर :–

मातृभाषा के रूप में हिन्दी सिखाते समय सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यहीं क्रम अपनाया जाता है । यही क्रम स्वभाविक भी है किन्तु द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखाते समय जो क्रम अपनाया जाता है वह इससे कुछ भिन्न होता है । अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी सीखाते समय भाषा के चार कौशलों का क्रम इस प्रकार रहेगा–सुनकर समझना, पढ़ना, बोलना और लिखना। सबसे पहला कौशल सुना और सबसे अन्तिम कौशल लिखना में कोई परिवर्तन नहीं होता । मातृभाषा के रूप में हिन्दी सीखाते समय पहले बोलने का अभ्यास किया जाता है और बाद में पढ़ने का, जबकि द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखाने समय पहले पढ़ने का अभ्यास किया जाता है और बाद में या लगभग उसी समय बोलने का अभ्यास किया जाता है ।

(4) हिन्दी तथा अहिन्दी पाठ्य पुस्तकों की रचना में अन्तर :–

हिन्दी भाषा–भाषी प्रान्तों में हिन्दी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है इसलिए पाठ्य–पुस्तकों का निर्माण सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी पाठ्य–पुस्तक अलग–अलग होनी चाहिए । उदाहरणार्थ– प्रत्येक क्षेत्र के लिए हिन्दी की एक ही पाठ्य पुस्तक काम नहीं दे सकती, यदि एक तमिल भाषी, अंग्रेज और एक रूसी हिन्दी भाषी पढ़ना चाहते है तो तमिल भाषी के लिए एक पुस्तक होगी तो अंग्रेजी बोलने वाले के लिए दूसरी और रूसी बोलने वाले के लिए तीसरी । पाठ्य–पुस्तकें मातृभाषा और अन्य भाषा की समानताओं को ध्यान में रखते हुए लिखी जानी चाहिए । क्योंकि प्रत्येक भाषा का गठन एक–सा नहीं होता ।

(5) अहिन्दी भाषा शिक्षक के लिए द्विभाषी होना आवश्यक :–

मातृभाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने वाला शिक्षक केवल हिन्दी भाषा का ज्ञाता है तो भी शिक्षण समुचित ढंग से चल सकता है, किन्तु द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिए शिक्षक का द्विभाषी होना अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिए अहिन्दी भाषा–शिक्षण मातृ–भाषा शिक्षण से अधिक कठिन माना जाता है । शिक्षक को यदि विद्यार्थियों की मातृ–भाषा का ज्ञान नहीं होगा

तो वह मातृ–भाषा तथा अन्य भाषा के अन्तर, समानता और व्यक्तिरेक को ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं कर सकेगा । मातृ–भाषा के अधिक उपयोग से बालक को समझने में सरलता रहेगी । प्रत्येक क्षेत्र में दोनों भाषाओं के व्यक्तिरेक को स्पष्ट कर देना चाहिए । यदि अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिन्दी के साथ–साथ उनकी मातृ–भाषा का भी ज्ञान हो तो इस पद्धति से परम्परागत ढंग की तुलना में आधे समय में अपेक्षित ज्ञान कराया जा सकता है ।

(6) मातृभाषा व द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के स्तर में अन्तर :–

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का जो स्तर होगा वह हिन्दी भाषी प्रदेशों में नहीं होगा। मातृभाषा के रूप में हिन्दी का स्तर ऊँचा होगा और द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी का स्तर अपेक्षाकृत उतना ऊँचा नहीं होगा । साधारणतया अहिन्दी भाषी प्रदेशों में चौथी कक्षा से ही पढ़ना प्रारम्भ किया जाता है जबकि मातृभाषा के रूप में हिन्दी सीखाना हिन्दी प्रदेशों में पहली कक्षा से ही प्रारम्भ कर दिया जाता है । विद्यालयों में पूर्व माध्यमिक स्तर तक बालकों को हिन्दी भाषा के प्रारम्भिक कौशलों का ज्ञान हो चुका होता है और कक्षा नवमीं से भाषा के उस रूप का शिक्षण प्रारम्भ हो जाता है जिसे हम साहित्य कहते हैं । अतः मातृभाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के सतर एवं अन्य भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के स्तर में पर्याप्त अंतर है । अहिन्दी भाषी प्रदशों में चौथी कक्षा की हिन्दी का स्तर हिन्दी भाषी प्रदेशों में पहली कक्षा की हिन्दी के बराबर होगा और ग्यारवीं कक्षा की हिन्दी का स्तर आठवीं के बराबर होगा ।

1.11 प्रारंभिक स्तर पर शुद्ध हिन्दी भाषा लेखन :–

शिक्षा के विविध स्तरों में से प्रारंभिक स्तर विद्यार्थियों के भाषा विकास अतिमहत्वपूर्ण होता है । भाषा के द्वारा ही विद्यार्थियों का सर्वांगीन विकास संभव है । प्रारंभिक स्तर पर शुद्ध हिन्दी भाषा लेखन से तात्पर्य है कि, इस स्तर पर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का सहि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यह कार्य बिना किसी बाधा के आसानी से कर सके । आज देश की विद्यालयीन स्थितियों में जरा गौर से देखा जाए तो हमें दिखाई दे रहा है कि आज हम अपनी मातृभाषा को भूलकर विदेशी भाषा अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे है । जिन विद्यार्थियों को पूर्णतः मातृभाषा का विकास नहीं उन्हें जबरदस्ती अंग्रेजी भाषा प्रथम कक्षा से पढ़ाई जा रही है । भाषा के उच्चारण तथा लेखन में सिर्फ़ विद्यार्थियों से ही नहीं बल्कि अध्यापकों से भी बहुत त्रुटियाँ होती है । भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसकी अंश मात्र त्रुटि से अर्थ का अनर्थ निकल जाता है ।

महात्मा गांधी के मतानुसार ''शुद्ध लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग है।''

(बंसल, रामविलास, (1999) प्राइमरी शिक्षक एन.सी.ई.आर,टी.)

अशुद्ध लेखन हत्या करने के समान हिंसक कार्य है । भाषा शिक्षण में प्रारंभिक स्तर से ही शुद्ध लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । जैसे– सुन्दर वस्त्र पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निखार आ जाता है वैसे ही शुद्ध लेखन से व्यक्ति का भाषा ज्ञान अधिक परिभाषित होता है ।

''अच्छा लेख, अच्छे व्यक्तित्व का द्योतक होता है । लेख में सुधार का तात्पर्य है– व्यक्तित्व में सुधार । सुलेख जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है । लिखावट को सुन्दर स्पष्ट और सुगढ़ बनाने के लिए बच्चे जब छोटे हों, खासकर प्राथमिक कक्षाओं में, तभी से ध्यान देना चाहिए । गांधीजी के विचारानुसार सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग होना चाहिए ।''

(कृष्णानंद, रोहिणी, (1998) प्राइमरी शिक्षक एन.सी.ई.आर.टी.)

शुद्ध लेखन में व्याकरण के ज्ञान कौशल का अत्यन्त महत्व है । श्री सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के रूप और भाव को रथ मान लिया जावे तो व्याकरण उसका सारथी है और व्याकरण ही भाषा रूपी रथ का कुशल वाहक है जिससे इच्छित भाव को सरलता व सहजता से समझा जा सकता है । अतः शुद्ध लेखन हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है । व्याकरण को शब्दानुशासक भी कहा है जो उन नियमों का ज्ञान कराता है जो भाषा को शुद्ध, सरल, स्पष्ट, व परिमार्जित करने में सहायक है । यह वर्णों का हस्व, दीर्घ व संयुक्त रूप से लिखना, शब्द विन्यास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक विरामचिह्नो, योजक शब्दों का प्रयोग सन्धि समास शब्द रचना पदक्रम आदि का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

मानक वर्णमाला :–

शुद्ध लेखन में मानक वर्णमाला का शिक्षण वाचन के समय भ्रम को दूर करता है जैसे ''ख'' के रूप में लिखते थे जो ''ख'' के रूप में लिखते थे जो ''ख'' का भ्रम उत्पन्न करता है। इसी प्रकार घ, ध, म, य, थ, व, ब आदि वर्णों का स्पष्ट ढंग से लिखा जाए ताकि वाचन के समय भ्रम दोष से बचा जा सके और वांछित अर्थ और भाव समझा जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक वर्णमाला का ज्ञान प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को कराया जाये ताकि तद्नुरूप अभ्यास किया जा सके और विद्यार्थी अशुद्ध लेखन

निदानात्मक शिाक्षण :–

लेखन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा अत्यावश्यक है । इंसान गलती करते है फिर विद्यार्थियों से गलती होना तो स्वाभाविक है । इसके निवारण हेतु भाषा अध्यापक एक कुशल चिकित्सक की तरह कार्य करें । सर्व प्रथम अशुद्धियों के कारण को मालूम करते हुए तद्दुरूप निवारण युक्तियों का प्रयोग करें । डॉ. मुखर्जी के अनुसार कैसे भी कारण क्यों न हो उनका निवारण होना ही चाहिए । निदानात्मक जानना, उनके विषय–वस्तु सम्बन्धी साक्षात्कार व संचित अभिलेखन की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है । भाषा शिक्षक प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि विद्यार्थी त्रुटिपूर्ण लेखन करें ही नहीं तथा अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को लिखकर काटने या उन्हें दुबारा ठीक लिखने की आदत न डाल पाएं ।

वर्तनी शोधन :–

वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ अधिक की जाती है जिन्हें सुधारने हेतु कुछ निवारण विधियाँ इस प्रकार है – अनुनासिकों व अनुस्वरों सम्बन्धी अशुद्धियाँ ठीक करना वर्णमाला में व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जैसे– ड, ण, न, म अनुवासिक कहलाते है । इनका प्रयोग जैसा चाहें वैसे न करें । हिन्दी जगत में टंकण व मुद्रण सुविधा के लिये अनुनासिकों को बिन्दी के रूप में 'र' का प्रयोग बालक ''र'' अक्षर के अनेक रूप से लिखने के ढंग के कारण गलती करते हैं ''र'' चार प्रकार से लिखा जा सकता है । स्वर युक्त ''र'' स्वर हीन ''र'' संयुक्त वर्ण के रूप में स्वरहीन व स्वरयुक्त वर्णों के साथ व्रत, पर्व के रूप में या बिना पाई के वर्ण उ, छ, ट, ढ, द आदि के साथ ''र'' का प्रयोग ध्यान से देखने योग्य है । जैसे :–

1. स्वरयुक्त :– 'र' स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है जबकि पूर्व अक्षर भी स्वर युक्त हो भारत, सुरभ्य ।
2. ''र'' से पूर्व अक्षर स्वरहीन हो तो ''र'' नीचे लिखा जाता है । जैसे–हस्व, क्रम प्रण, प्रभात।
3. बिना जाई के अक्षर ड, छ, ट, ठ, ढ, द, ह के साथ ''र'' नीचे लिखने का रूप ''्'' होता है । जैसे – ड्रम, राष्ट्र।
4. स्वरहीन ''र'' के बाद स्वरयुक्त अक्षर हो तो ''र'' अगले अक्षर के ऊपर ''ँ'' लिखा जाता है –पूर्व, गर्व, वर्ष । यह अगले अक्ष्ज्ञर के अन्तिम पाई पर लगाया जाता है या मात्रा के बाद जैसे–तार्किक, स्वर्गीय ।

5. कई बार ''भर'' को ''र'' के रूप में मान लिया जाता है जो गलत है कृपा, नृप में ''र'' है ही नहीं इस प्रकार ''र'' के लेखन या उच्चारण में गलती न की जायें ।

शब्दों के शुद्ध रूप :–

शब्दों के शुद्ध रूप से यहाँ तात्पर्य है कि, ''केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय'', नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक वर्णमाला का हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों द्वारा लेखन में प्रयोग करना। परिणामतः हिन्दी लेखन में शुद्धता की अपेक्षाएँ की जा सके । पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, चित्रो–मानचित्रों, नाम पट्टिकाओं, विज्ञान पट्टों, दूरदर्शन, चलचित्रों आदि में अशुद्ध वर्तनी का बाहुल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है । हिन्दी वर्तनी को लेकर इतनी निश्चितता क्यों ? हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्रों का तो कहना ही क्या ? हिन्दी की इस अशुद्ध वर्तनी सम्बन्धी दुर्दशा को देखकर अर्थशास्त्र का एक नियम स्मरण हो आता है, जिसे 'ग्रेशम' का नियम कहते है । ग्रेशम के अनुसार 'बुरी मुद्रा अच्दी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है । वर्तमान में अशुद्ध वर्तनी का बढ़ता हुआ प्रयोग ग्रेशम के नियम की तरह ही आधुनिक हिन्दी व्यवहार में भी शुद्ध वर्तनी रूपों का स्थान अशुद्ध वर्तनी रूप लेते हुए चले आ रहे है तथा शुद्ध वर्तनी से इसी कारण विद्यार्थी तथा पाठक अपरिचित है । यहां तक कि वे इन्हें शुद्ध स्वीकारते हुए हिचकिचाते हैं । कैसी विडम्बना है वे शुद्ध तथा शुद्ध को अशुद्ध माने हुए हैं । 'श्रृंखला' तथा 'चिन्ह' अशुद्ध वर्तनी प्रयोग हैं । शुद्ध वर्तनी है – 'श्रृंखला' तथा 'चिह्न' जो श्+ऋ – श्र (श्र) तथा ह्+न– ह्न से बने हैं । 'सोहार्द्रता' वर्तनी में 'स' पर 'ओ' की मात्रा तथा 'र्द्र' के स्थान प्रर 'र्द्र' लिख 'ता' प्रत्यय लगाना कितना अशुद्ध प्रयोग है ? शुद्ध वर्तनी रूप है 'सौहार्द' जिसका आशय है –सुदृढ़ होने का भाव ।

वर्तमान में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है–

| अशुद्ध | – शुद्ध | अशुद्ध | – शुद्ध |
|---|---|---|---|
| आध्यात्मक | – अध्यात्म | बारात | – बरात |
| आधीन | – अधीन | अनाधिकार | – अनधिकार |
| अनुग्रहित | – अनुगृहीत | सन्यासी | – संन्यासी |
| उज्वल | – उज्ज्वल | उपरोक्त | – उपर्युक्त |
| निरपराधि | – निरपराध | निर्दोषी | – निर्दोष |
| बेफिजूल | – फिजूल | पूज्यनीय | – पूजनीय |
| अत्याधिक | – अत्यधिक | अन्तर्ध्यान | – अन्तर्धान |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीयकरण | – | केन्द्रीकरण | कैलाश | – | कैलास |
| प्रदर्शिनी | – | प्रदर्शनी | चर्मोत्कर्ष | – | चरमोत्कर्ष |
| बृजभाषा | – | व्रजभाषा | सादृश्य | – | सदृश |
| शुद्धिकरण | – | शुद्धीकरण | श्राप | – | शाप |
| सुलोचनी | – | सुलोचना | तदोपरान्त | – | तदुपयन्त |

कुल मिलाकर, आज हिन्दी वर्तनी के शुद्ध रूप की आवश्यकता है । इससे वर्तमान न भावी पीढ़ी दोनों के प्रति न्याय हो सकेगा और हिन्दी भाषा को बढ़ावा भी मिलेगा ।

## 1.12 भाषा शिक्षण में हिन्दी की समस्याएँ : एक सर्वेक्षण

"हिन्दी पूरी तरह से एक समर्थ भाषा है, लेकिन हमारे संकल्प की कमी के कारण उसे वह स्थान नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार है।" तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा का मार्मिक उद्‌गार था, जो वस्तुतः शत प्रतिशत सही है । हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार तथा प्रतिष्ठापना के लिए जो उत्साह, उमंग, सद्‌संकल्प, संयम एवं संयोजन की आवश्यकता है उसके लिए हम सही अर्थों में सजग और प्रयत्नशील नहीं हैं । इसी मत को मारीशस के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अभिमन्यु अनंत ने एक कटु सत्य के रूप में ठीक ही कहा है कि भारत में हिन्दी भाषी लोग हिन्दी बोलने में शर्म महसूस करते हैं । हमारी यह मानसिकता हमें हीन भाव से ग्रस्त रखती है और हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि हिन्दी के विकास में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी ही है । हम सरकारी काम–काज की भाषा के रूप में सम्पर्क भाषा, सुसंस्कृत और विकसित व्यक्ति की भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही सिरमौर मानते चले आ रहे हैं । इसी कारण हमारा उत्साह और प्रयास भी अंग्रेजी सीखने और बोलने में रहता है हिन्दी में नहीं ।

एक और हम शुद्ध मन–मस्तिष्क से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरी ओर इसे समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध नहीं है । हिन्दी के बोलने तथा वर्तनी में नियमों की परम्पराओं की अवहेलना को भयंकर भूल नहीं मानते । साधारण व्यक्ति से लेकर विद्वानों तक के उच्चारण एवं वर्तनी सम्बन्धी असहनीय त्रुटियां देखी जा सकती हैं । जिसे हम कोई महत्व नहीं देते । उदाहरण के लिए तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजक श्री सुधाकर पाण्डेय के हिन्दी बोलने में त्रुटियों का अम्बार था । जब वे स्पष्ट को अस्पष्ट, स्थान को

अस्थान, स्मारिका को अस्मारिका, विमोचन को विमोचन बोलकर अपनी 'शुद्ध भाषा' की बानगी दे रहे थे । इसी प्रकार मेरे को, मैं मेरे घर गया, अपन चलें, के प्रयोग हमें विवश करते हैं कि हम गम्भीरता से विचार करें कि हिन्दी के मानक स्वरूप के प्रति हम कितने सचेत हैं । प्रश्न यह है कि जो हिन्दी भाषी प्रदेश–उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश हैं, वे हिन्दी के मानक रूप को प्रतिष्ठित करने में कितने सक्षम तथा समर्थ हैं ।

मध्यप्रदेश हिन्दी भाषी क्षेत्रों में से एक है । मध्यप्रदेश का गठन ही राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के अनुसार देश के मध्य भाग में जो हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेश था उसको एक प्रशासन इकाई में जोड़ा गया । जहां की भाषा हिन्दी मानी जाती है । खेद का विषय यह है कि मध्यप्रदेश हर दृष्टि से पिछड़ा है चाहे वह शैक्षिक दृष्टि से चाहे आर्थिक व सामाजिक । इसी दिशा में यदि हम देखें तो हिन्दी भाषी प्रदेश होने का गौरव तो इसे प्राप्त है पर अशुद्धियों एवं विकृतियों से भरा पूरा है । यही कारण है कि भाषा का वह स्पष्ट रूप दिखाई नहीं पड़ता । समाज में आज जिस प्रकार नैतिकता का संकट दिखाई दे रहा है उसी रूप में हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा पर अशुद्धियों का कोहरा गहराता नजर आ रहा है । इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि हिन्दी भाषा तमाम–प्रभावों से ग्रसित है । हिन्दी भाषा के गठन के समय संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषा बोली के शब्दों को स्वीकार किया गया था । क्योंकि हिन्दी को समृद्ध भाषा बनाने के लिए हिन्दी के पास बहुत से ऐसे शब्दों का अभाव था जो सही भाव और अभिव्यक्ति दे सकें । इस कार्य से हिन्दी भाषा का शब्द कोश तो समृद्ध हुआ किन्तु इसके साथ–साथ जो क्षेत्रीय व स्थानीय प्रभाव हिन्दी में घुस आया वह हर दृष्टि से घातक सिद्ध हो रहा है । जैसे– भोपाल का भोपालीपन, पंजाब का पंजाबीपन, मराठी का मराठीपन, बंगाल का बंगालीपन । ऐसा होना उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे मौसम का प्रभाव मनुष्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता । किन्तु मानक भाषा की दृष्टि से क्या यह वांछनीय है ? इस तरह के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिन्दी का प्रतिष्ठित और मानक रूप नहीं रह पाता ।

### भोपाल में हिन्दी भाषा की स्थिति :–

गर्व की बात है कि मध्यप्रदेश के गठन के समय भोपाल हिन्दी क्षेत्र होने के कारण मध्यप्रदेश के गठन के समय भोपाल हिन्दी क्षेत्र होने के कारण मध्यप्रदेश में मिला, और राजधानी के रूप में गौरवान्वित हुआ किन्तु दुर्भाग्यवश आज भोपला में ही हिन्दी की स्थिति विकलांग हो रही

है । कहने का अभिप्राय यह है कि भोपाल में हिन्दी को जितना तोड़ा–मरोड़ा गया है शायद और कहीं नहीं । चाहे उच्चारण की दृष्टि से देखें या फिर लेखने में । वर्तनी का ऐसा विकृत रूप मिलता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है । उदाहरण के लिए वर्तनी सम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ अग्रलिखित प्रकार की हैं –

(आ) की मात्रा का दोष– आवश्यकता को अनश्यकता, आहार को अहार, बादाम को बदाम चाहिए को चहिए, मिठाई को मिठई, आयी को अयी, सांसारिक को संसारिक करके प्रयोग करते हैं । इस प्रकार का प्रयोग मालवी बोली का मालूम पड़ता है । इसी प्रकार जहां (आ) की मात्रा की आवश्यकता नहीं है वहां (आ) की मात्रा लगा देते है जैसे–अपना को आपना, बरात को बारात, अंग को आंग लिखते हैं ।

(ई–इ) उ–ऊ को दोष– ई की जगह इ और इ की जगह ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार उ की जगह ऊ और ऊ की जगह उ की मात्रा का प्रयोग किया जाना आम बात है । जैसे आधुनिक को अधुनिक, पूजनीय को पुजनिय, पतित को पतीत, लीजिए को लिजिए, पति को पती, पत्नी को पत्नि, श्रीमती को श्रीमति, अनूदित के स्थान पर अनुदित, दूसरा के स्थान पर दुसरा, शत्रु को शत्रू आदि लिखते हैं ।

र के साथ उ–य की मात्रा का दोष – गुरू (गुरू) रूप (रूप) रूपया (रूपया) का अन्तर लिखना नहीं जानते । इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि, हिन्दी के तद्भव और विदेशी शब्दों के अन्त में दीर्घ (ऊ) की मात्रा का प्रयोग होता है क्योंकि अकारान्त शब्द संस्कृत में कम हैं किन्तु भोपाल में तत्सम शब्दों को भी जो उकारान्त है उन्हें दीर्घ (ऊ) की आवश्यकता है वहां हस्व उ कर देंगे चाहे वे शब्द तत्सम या विदेशी हों जैसे – आँसू (आँसु) आलू (आलु), चाकू (चाकु), हिन्दू (हिन्दु), सैकड़ों शब्द हैं जिनकी सूची यहां देना सम्भव नहीं ।

ऋ की भूलें – प्रायः देखा जाता है कि अनुग्रहीत को अनुग्रहीत और आक्रमण को आक्रमण, गृह को ग्रह और ग्रह को गृह लिखते हैं । इस प्रकार अशुद्धियों का यह कारण हैं कि उन्हें (ऋ) की मात्रा एवं हलन्त अक्षर के बाद 'र' का प्रयोग किस प्रकार और कहां–कहां होता है इसका ज्ञान नहीं है । इस सम्बन्ध में याद रखना चाहिए कि 'ऋ' का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में आता है । जैसे– त्रिकोण, बृज, भ्रष्टाचार आदि शब्द है यह सब 'र' है 'ऋ' नहीं। 'र' का प्रयोग 'र' से पहले आए हलन्त व्यंजन में हुआ है । क्रमशः तःर–त्र, ब+र– ब्र होता है ।

अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ – कई बार अनुस्वार ( ं ) की जगह अनुनासिक (ँ) से लगाकर लिखते हैं । इसी प्रकार अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार से काम

चलाते हैं । इसी प्रकार अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार से काम चलाते हैं जैसे अंधा (अँधा), संस्कृत (सँस्कृत), गंवार (गँवार) आदि । इसके अतिरिक्त कई बार अनुणासिक का अनावश्यक प्रयोग भी किया जाता है । जैसे नाना (लांता), सोच को (सोंच) हमेशा (हमेंशा) घास (घाँस) इसी प्रकार कुछ शब्दों में ( ँ ) लगावा आवश्यक होना है किन्तु अनुनासिक ( ँ ) लगाना आवश्यक होना है किन्तु अनुनासिक ( ँ ) नहीं लगाते तब भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है । कई ऐसे शब्द जोड़े हिन्दी में हैं जो दोनों रूपों में अर्थ बोध कराते हैं उदाहरण के लिए पूछ और पूँछ, कहा कहाँ, आधी आँधी, भाग भाँग आदि बहुत से शब्द जोड़े बनाए जा सकते हैं और उच्चारण सहित अर्थ भेद स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है ।

**र का संयुक्ताक्षर के साथ प्रयोग एवं र (रेफ) की अशुद्धि** भी प्रायः देखने में आती है, रेफ का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है । र किसी व्यंजन के साथ संयुक्त में किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है । ये दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ विद्यार्थियों के सामने होती हैं इस कारण पर्याप्त (परयाप्त), आशीर्वाद को (आर्शीवाद) जैसी अशुद्धियां करते हैं ।

**नुक्ता की अशुद्धि** – कुछ शब्द अरबी फारसी से हिन्दी में आ गए हैं जिनको हिन्दी ने आत्मसात कर लिया है । उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि सही उच्चारित हो लिखने में नुक्ता (अक्षर के नीचे बिन्दी लगाकर लिखा जाता है) जैसे– ज़, ग़, क़ किन्तु इसका प्रभाव यह हुआ कि ज, ग और क से जो शब्द बनता है सभी में नुक्ता लगा दिया जाता है । ऐसा भोपाल में देखने में आया जैसे– ज़हाज है उसे जहाज लिखना या फिर जिन शब्दों में नुक्ते की जरूरत है वहाँ न लगाया जाना ।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal